राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 684–एक / 2004 जिला **बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–8–2015	आवेदक गण की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर व गुणदोषों पर किया जा रहा है । प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27–6–2003 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 123–चार / 1989 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

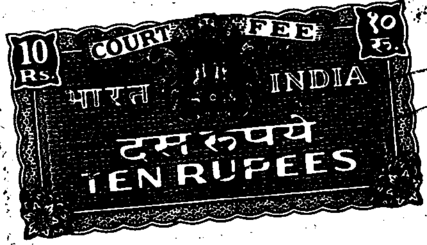

39

रा0रा0 श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष

Rev 684-I/2004

1) देवकिशन आत्मज मदनलाल

2) श्रीमती नर्मदाबाई पति देवकिशन

3) संजय कुमार आत्मज देवकिशन अवयस्क

द्वारा संरक्षक नर्मदाबाई

सभी निवासी ग्राम राय तलाई . तह बुहरानपुर ....प्रार्थीगण

28-5-04

विरूद्ध

1) म0प्र शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी महोदय, बुहरानपूर

2) श्रीमती मंदाकीनी पति मनोहर लाल

3) श्रीमती माला पति प्रदिप कुमार

दोनो निवासी – ग्राम राय तलाई तह0. व जिला बुहरानपुर ....प्रतिप्रार्थीगण

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र भू0 राजस्व संहिता

इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 123 /4 /89 में दिनांक 27.06.2003 को पारित ओदश के सम्बधं में अपनी पुर्नविलोकन याचिका निम्नानुसा सादर प्रस्तुत है।